फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– शोभराज पुत्र लक्ष्मणराम –::बनाम::– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :–147/2023

खम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
23	प्रार्थी उपस्थित।	

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प सेवरिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा– गुड़ा हेमड़ाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 2 व 98 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुबेदार पुत्र लक्ष्मण, सुबेदार पुत्र लिक्षमण दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में शोभराज पुत्र लक्ष्मणराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम सुबेदार पुत्र लक्ष्मण, सुबेदार पुत्र लिक्षमण के स्थान पर शोभराज पुत्र लक्ष्मणराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रशासन गांवो के संग अभियान सेवरिया में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा– गुड़ा हेमड़ाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 2 व 98 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुबेदार पुत्र लक्ष्मण, सुबेदार पुत्र लिक्षमण दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में शोभराज पुत्र लक्ष्मणराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सुबेदार पुत्र लक्ष्मण, सुबेदार पुत्र लिक्षमण के स्थान पर शोभराज पुत्र लक्ष्मणराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– गुड़ा हेमड़ाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 2 व 98 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि सुबेदार पुत्र लक्ष्मण, सुबेदार पुत्र लिक्षमण को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक ''शोभराज पुत्र लक्ष्मणराम ''दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार [illegible]

(श्याम सुन्दर [illegible])
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:24:02 IST
Reason: SelfAttested